पत्रांक–01 / प्रा0आ0(बाढ़)–13 / 2019 / 2112 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग।

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर।

पटना–23, दिनांक– 14.07.2019

विषय – बाढ़ प्रभावित परिवारों को सामुदायिक रसोईघर (Community Kitchen) के संचालन के संबंध में।

महाषय,

आप अवगत हैं कि बाढ़ की विभीषिका के आलोक में यह अत्यंत आवश्यक है कि बाढ़ पीड़ितों तक पर्याप्त भोजन की व्यवस्था तत्काल मुहैय्या करायी जाए। इस संबंध में अविलंब निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्रवाई की जाए –

1. **सामुदायिक रसोईघर (Community Kitchen)** : बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोईघर (Community Kitchen) को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु यह सुनिश्चित करें कि वैसी जगहों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर बाढ़ शरणार्थी पूर्व से रह रहे हैं या जहाँ आने–जाने में विशेष दिक्कत नहीं हो। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2017 में बाढ़ के दौरान पूर्णिया जिले के बायसी अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित लोग राष्ट्रीय उच्च पथ पर काफी संख्या में रह रहे थे, जिसके आलोक में राष्ट्रीय उच्च पथ पर पूर्व से अवस्थित लाइन होटलों को कम्युनिटी किचेन के रूप में उपयोग में लाया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2017 के बाढ़ में कटिहार से बारसोई के बीच में सात रेलवे स्टेशन को कम्युनिटी किचेन के रूप में जिला प्रशासन कटिहार के द्वारा उपयोग किया गया था। इसी प्रकार आवश्यकतानुसार शहर, पंचायत, गाँव स्तर पर भी समुचित स्थानों को चिन्हित कर कम्युनिटी किचेन स्थापित कर सफलतापूर्वक संचालित किया जाए।

इसके लिए निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :–

(i) जो लोग भोजन करने आयेंगे उनका पंजीकरण कर लिया जाए ताकि लेखा के संधारण में कठिनाई नहीं हो। इस कार्य में व्यय होनेवाली राशि का वहन खाद्यान्न की आपूर्त्ति मद के विषय शीर्ष 21 03 आहार/पथ्य से किया जाएगा।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि कम्युनिटी किचेन की सफाई समुचित रूप से हो और गंदगी का अम्बार आसपास नहीं हो। खाना बनाने वाले स्थलों एवं खिलाने वाले स्थलों की साफ–सफाई विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय तथा इन स्थलों पर जूते–चप्पल पहनकर जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाय।

(iii) सभी सामुदायिक रसोईघर में यथासंभव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आपूर्ति किये गये पानी शुद्धिकरण के जेरीकेन का यथासंभव प्रयोग किया जाय एवं इसके नियमित साफ–सफाई पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंधित अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे।

(iv) सामुदायिक रसोईघर में पकाये जाने वाले सब्जियों एवं अनाजों को पकाने के पूर्व अच्छी तरह से भिंगोकर साफ कर लिया जाय ताकि किसी भी तरह की गन्दगी इसमें शेष न रहे।

(v) बाढ़ पीड़ितो को भोजन कराने हेतु स्टील की थाली एवं स्टील का ग्लाश उपयोग किया जाना है। भोजन के बाद साफ थाली एवं गिलास को सामुदायिक रसोई में ही रखना है। इसपर व्यय होने वाली राशि की अधियाचना मुख्यमंत्री राहत कोष से की जायेगी।

(vi) सभी सामुदायिक रसोई स्थल एवं राहत केन्द्रों पर इस आशय का बैनर अवश्य लगाया जाय, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि सामुदायिक रसोई का संचालन राज्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, जहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है।

(vii) कम्युनिटी किचेन से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित जाए।

(viii) सामुदायिक रसोईघर (Community Kitchen) की व्यवस्था से संबंधित फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी Whatsapp/E-mail आदि के माध्यम से भेजने की कार्रवाई की जाए।

(ix) **<u>कम्युनिटी किचेन में पूड़ी तथा तले हुए खाद्य पदार्थों की आपूर्त्ति नहीं की जाएगी। यह पूर्णतः प्रतिबंधित है।</u>**

(x) संचालित कम्युनिटी किचेन की जाँच हेतु जिला स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की ऐसी व्यवस्था हो ताकि कम–से–कम प्रत्येक दिन 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था निश्चित रूप से रहे। जाँच के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लगातार एक ही केन्द्र की जाँच न हो बल्कि भिन्न–भिन्न तिथियों में भिन्न–भिन्न केन्द्रों की जाँच की जाए।

उपर्युक्त कार्रवाई के आलोक में प्रत्येक दिन आपदा प्रबंधन विभाग को प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

अनु० – यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2112/आ०प्र०, पटना–23, दिनांक– 14/7/19

प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिलों के प्रभारी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2112/आ०प्र०, पटना–23, दिनांक– 14/7/19

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2112/आ०प्र०, पटना–23,दिनांक– 14/7/19

प्रतिलिपि : माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

Community Kitchen से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन

जिला का नाम –   दिनांक–

क्र0	प्रखंड का नाम	प्रभावित जनसंख्या	Community Kitchen की संख्या	Community Kitchen में भोजन करने वाले व्यक्तियों की संख्या	अभ्युक्ति
कुल योग					